मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० ..... / 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/7	[illegible] सरकार सिकराय के द्वारा [illegible] पेश किया। दावा पत्र रजिस्टर किया जाकर उपस्थितियों की तलबी की जाकर मुकदमा दि० 8-5-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
22/7	मुकदमा पेश हुआ। [illegible] सरकार [illegible] सरकार की ओर से उठाया गया। मुकदमा [illegible] का मना किया। सह खातेदार [illegible] होकर सहमति पत्र उपस्थित किया गया उपस्थित सहमति [illegible] सुलही [illegible] प्रार्थना किया। सहमति पत्र पर [illegible] गिरदावर, तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट की मुकदमी पर [illegible] दी जिस पर डिक्री होने का [illegible] किया। ऐसी स्थिति में उपस्थित सहमति पत्र डिक्री किया जाना योग्य सहमति पत्र दि० 20-3-19 की नकल नथी में लगा रहेगी। मुकदमा बाबी [illegible] किया जाता है तथा विवादित भूमि 200.70 [illegible] 133, 134 [illegible] 0.230 हे० [illegible] सिकराय के [illegible] सहमति पत्र दि० 20-3-19 के उपरान्त डिक्री के मोताबिक तहसीलदार सिकराय को दिये जावे। मुकदमी निपटान [illegible] होकर [illegible] नथी। [illegible] 22/3/19	